लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
(जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
पीठासीन अधिकारी **शिवांगी स्वर्णकार,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/63/2019 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 24.07.2019

श्री रमेश चन्द्र गदिया C/O केसरिया जनरल स्टोर महावीर चौक, बडीसादडी

बनाम

सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बडीसादडी

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

निर्णय

दिनांक 13.08.2019

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बडीसादडी के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 17.05.2019 को प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 63/2019/(13.08)/302 दिनांक 24.07.2019 से सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बडीसादडी को दिनांक 13.08.2019 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 13.08.2019 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तथा न ही सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बडीसादडी ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किए।

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(जिला कलक्टर)
चित्तौडगढ (राज.)

प्रकरण संख्या 63 / 2019 (सू.अ.)
श्री रमेश चन्द्र गदिया निवासी बडीसादडी बनाम सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बडीसादडी

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया। चूंकि प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र कमांक / प.3(22)प्रसु / सू.अ.प्र. / 06 दिनांक 02.02.2009 अनुसार **"सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत लोक प्राधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नही है। अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक प्राधिकारी के पास पहले से मौजूद है।"**

अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 17.05.2019 का अवलोकन करने पर स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त आवेदन से प्रश्नात्मक सूचनाऐं चाही जा रही है जिसे देने हेतु लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी बाध्य नहीं है। निष्कर्षतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती है।

(शिवांगी स्वर्णकार)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र. / सरिश्ता / प्र.सं. / 63 / 2019(सू.अ.) / 364   दिनांकः– 13 / 08 / 2019

प्रतिलिपिः–

1. सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं तहसीलदार, बडीसादडी
2. श्री रमेश चन्द्र गदिया c/o केसरिया जनरल स्टोर, महावीर चौक, बडीसादडी

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

Web Copy - Not Official